उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 719/27–9–2009(9)/स्टाम्प–53/2009
देहरादून, 06 अक्टूबर, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 के उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचनाओं संख्या–299/XXVII(9)/स्टाम्प/2006, दिनांक 18 अगस्त, 2006 को अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में बीस लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

परन्तु यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य बीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में बीस लाख रूप्ये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जायेगी और बीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में निष्पादित अन्तरण विलेख में यदि स्त्री/स्त्रियों का अंश विनिर्दिष्ट हो, तो ऐसी लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक कमी कर दी जायेगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हों।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन,)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक : 719(1)/27–9–2009(9)/स्टाम्प–53/2009तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभा–9 में उपलब्ध करा दें।
6. न्यायय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।